कार्यकारी सारांश

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रदान करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के कुल मुख्य राजकोषीय संबंधी हो रहे विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान–वार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है।

अध्याय 3 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना का विहंगावलोकन है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I राज्य सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियाँ : राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 3167.80 करोड़ (14.15 प्रतिशत) से बढ़ गई। कर राजस्व में ₹ 3459.85 करोड़ की वृद्धि हुई, तथा गैर कर राजस्व में ₹ 166.06 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से अनुदान ₹ 458.12 करोड़ से घट गए थे। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (14.15 प्रतिशत) स.रा.घ.उ. में वृद्धि की तुलना में कम थी।

(पैरा 1.2 तथा 1.5)

राजस्व व्यय का कुल व्यय में अधिक अंश: चालू वर्ष के दौरान ₹ 20659.36 करोड़ का राजस्व व्यय गत वर्ष के व्यय से ₹ 2694.51 करोड़ (15.00 प्रतिशत) से बढ़ गया है। 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 83.18 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

विकास व्यय पर अपर्याप्त प्राथमिकता: पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 172.36 करोड़ (4.30 प्रतिशत) बढ़ गया। वर्ष 2012-13 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 16.86 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

निवेश एवं लाभ : 31 मार्च 2013 को सरकार ने ₹ 16388.15 करोड़ सरकारी कंपनियों, शहरी बैंकों तथा कापरेटिवों में निवेश किया हुआ था। इन निवेशों पर लाभ का 0.16 प्रतिशत विलय कर दिया गया था जबकि 2010-13 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत दर 9.73 प्रतिशत था।

(पैरा 1.8.1)

राजकोषीय देयताओं का स.रा.घ.उ. में उच्च अनुपात : राज्य की संपूर्ण राजकोषीय देयताओं में 2008-09 में ₹ 25381.66 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 29242.71 करोड़ (15.21 प्रतिशत) हो गई। 2012-13 के दौरान ₹ 29242.71 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में ₹ 29242.70 करोड़ की लघु बचत संग्रहण तथा ₹ 0.01 करोड़ की अन्य सहकारियों को दी गई सहकारी सहायता सम्मिलित थी।

(पैरा 1.9.2)

राजकोषीय स्थिति : राज्य में राजस्व अधिशेष एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 2008-09 में ₹ 4589.65 करोड़ से 2010-11 में ₹ 10642.36 करोड़ हो गया। किन्तु, वर्ष 2011-12 के दौरान तीव्र कमी देखी गई तथा यह ₹ 4428.31 करोड़ हो गया एवं 2012-13 में ₹ 4901.61 करोड़ था। राज्य में 2008-09 तथा 2009-10 में प्राथमिक घाटा था जो 2010-11 के दौरान ₹ 3309.12 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में बदल गया। प्राथमिक अधिशेष 2011-12 तथा 2012-13 वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 372.06 करोड़ तथा ₹ 577.93 करोड़ तक घट गया। 2008-09 का ₹ 2824.07 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया तथा 2012-13 के दौरान ₹ 2284.95 करोड़ का घाटा हुआ।

(पैरा 1.11.1)

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2012-13 के दौरान ₹ 34515.85 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से ₹ 29938.25 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4577.60 करोड़ की बचत हुई। राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत तेरह अनुदानों एवं एक विनियोजन (लोक ऋण) में से ₹ 2534 करोड़ की बचत और पूंजीगत क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 2043.60 करोड़ की बचत हुई।

(पैरा 2.2)

वर्ष 2012-13 के विनियोजन लेखे दिखाते है कि ₹ 4303.04 करोड़ के पाँच अनुदानो तथा एक विनियोजन से सम्बन्धित 27 मामलों में से प्रत्येक मामले में ₹50.00 करोड़ से अधिक की बचतें हुई।

(पैरा 2.3.1)

आठ उपशीर्षों में ₹ 12.83 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। तथापि अंतिम व्यय यहाँ तक कि मूल अनुदान/विनियोग की अपेक्षा कम था।

(पैरा 2.3.6)

आठ अनुदानों (₹ एक करोड़ अथवा अधिक की बचतों का प्रत्येक अनुदान/विनियोग में संकेत दिया गया था) के अंतर्गत ₹ 3452.32 करोड़ की बचतों में से ₹ 2057.96 करोड़ (बचतों की राशि का 59.62 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.3.9)

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी ऋणों और अनुदानो के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2012 के अन्त में ₹ 23105.20 करोड़ की राशि के कुल 4781 अनुदानों में से, मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 17389.41 करोड़ के 4593 उ.प्र. विभिन्न विभागों से प्रतिक्षित थे। बकाया 4593 उ.प्र. में से ₹ 5380.92 करोड़ के 2180 उ.प्र. 10 सालों से अधिक समय से बकाया थे।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2011-12 तक तीन स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के पंद्रह वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा को 31 मार्च 2013 तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 3.2)